निदेश सं 82

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,
(एस. टी. एस. बिल्डिंग),
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001

फ. सं. ए – 110018/01/2021-सीएक्यूएम/वोलूम-VI 999 **दिनांक: 20.08.2024**

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत निदेश - सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए निजी वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क/प्रभार में वृद्धि।

1. जबकि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है । (इसके बाद आयोग के तौर पर संदर्भित)।

2. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग का अधिकार है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को संरक्षित करने और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें, निदेश आदि जारी करें जैसा कि वे आवश्यक या व्यावहारिक समझें ।

3. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2) (ix) आयोग को शक्ति देती है कि वे किसी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकरण को लिखित में आदेश जारी करें और जिसे व्यक्ति या अधिकारी या प्राधिकरण इन आदेशों को मानने के लिए बाध्य होंगे।

4. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2) (v) के तहत आयोग के पास अधिकार है कि वह किसी भी उद्योग, सञ्चालन या प्रक्रिया को चलाने वाले क्षेत्रों पर प्रतिबन्ध लगा सकता है जिसका क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है ।

5. जबकि, विशेष रूप से सर्दियों के मौसम के दौरान पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समग्र वायु प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है।

6. जबकि, दिल्ली- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निजी वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या से क्षेत्र में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्ता रहा है और निजी वाहनों की बढ़ोतरी से प्रमुख चौराहों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों जैसे बाजार आदि में यातायात जाम का कारण भी बनती है।

7. जबकि, दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, विशेषकर मेट्रो और ईवी/सीएनजी सिटी बसों का प्रभावी उपयोग इस क्षेत्र से वायु प्रदूषण को काफी हद तक कम करने में मदद करेगा ।

8. जबकि, स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने और निजी वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क को युक्तिसंगत बनाने/बढ़ाने की दिशा में समय-समय पर जीएनसीटीडी के साथ आयोग की बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है, जिसे उपर्युक्त उद्देश्यों की दिशा में एक प्रभावी साधन के रूप में देखा गया है ।

9. जबकि, पार्किंग शुल्क तय करने की ऐसी कवायद पिछली कई साल पहले दिल्ली में की गई थी, निजी वाहनों के लिए मौजूदा पार्किंग शुल्क की समीक्षा/युक्तिसंगत बनाने की अतिआवश्यकता महसूस की गई है ।

10. जबकि, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति द्वारा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न समीक्षा बैठकों में ऐसे पार्किंग शुल्क की समीक्षा करने का भी आह्वान किया गया है ।

11. जबकि, जी.आर.ए. पी. के चरण-II अर्थात ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अंतर्गत, जो कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्दियों के महीनों के दौरान व्याप्त सामान्य रूप से प्रतिकूल वायु गुणवत्ता परिदृश्य को पूरा करने के लिए एक आपातकालीन जवाबी कार्य योजना है, निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने का निदेश देता है ।

12. जबकि, उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों के बावजूद, दिल्ली में पार्किंग शुल्क में कोई संशोधन/युक्तिकरण/वृद्धि नहीं की गई है जिसमें जी.आर.ए. पी. चरण-II और उससे ऊपर के चरणों के दौरान भी शामिल है, सिवाय एनडीएमसी क्षेत्राधिकार में सीमित रूप से पार्किंग शुल्क में वृद्धि और केवल 2023-24 के सर्दियों के मौसम के दौरान जीआरएपी के तहत प्रतिबंध की अवधि के लिए की गई थी ।

13. जबकि, इस संदर्भ में एक विस्तृत परामर्श भी 24.04.2024 को जारी किया गया था, जिसमें दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निजी वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क को युक्तिसंगत बनाने की बात कही गई थी, जिसे 30.08.2024 तक लागू किया जाना था। इसके बावजूद, संबंधित एजेंसियों द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई अभी भी अपेक्षित है ।

14. अब, इसलिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत, निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग दिल्ली में शहरी स्थानीय निकायों यानी एमसीडी, एनडीएमसी और डीसीबी को आयोग निदेश देता है कि वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में निजी वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क को व्यापक रूप से संशोधित और युक्तिसंगत बनाएं और स्थानीय क्षेत्र-विशिष्ट एकीकृत पार्किंग प्रबंधन योजनाओं और संबंधित मूल्य निर्धारण रणनीतियों की समीक्षा के आधार पर 30-09-2024 तक इस कार्रवाई को पूरा करें। ऐसे पार्किंग शुल्क/दरों में संशोधन को भी बड़े पैमाने पर जनता तक पहले से ही प्रसारित किया जाना चाहिए और 01.11.2024 तक पूरी दिल्ली में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

हस्ता०
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में

1. आयुक्त एमसीडी
2. अध्यक्ष एनडीएमसी
3. सीईओ, डीसीबी

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि:

1. परिवहन आयुक्त, जीएनसीटीडी
2. अपर पुलिस आयुक्त (यातायात), जीएनसीटीडी

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी
2. अध्यक्ष एवं सदस्य, सीएक्यूएम